



अष्टादश

बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 30 आषाढ़, 1948 (श०)
21 जुलाई, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 158

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	84
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	..	03
(3)	कला एवं संस्कृति विभाग	..	..	06
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	..	03
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	04
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	..	03
(7)	परिवहन विभाग	..	..	11
(8)	खेल विभाग	..	..	14
(9)	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	..	..	05
(10)	उच्च शिक्षा विभाग	..	..	20
(11)	युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	..	..	03
(12)	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	..	..	02
कुल योग --				158

मैथिली अकादमी का पुनर्गठन

*01. श्री आसिफ अहमद (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 1976 में स्थापित पटना स्थित मैथिली अकादमी, जो मैथिली भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के उद्देश्य से स्थापित की गयी थी, वर्ष 2025-26 में प्रशासनिक पुनर्गठन के फलस्वरूप अपना स्वतंत्र संचालन खो चुकी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मैथिली भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के हित में मैथिली अकादमी को पुनः स्वतंत्र रूप से सक्रिय एवं संचालित कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*02. डॉ० रामानन्द यादव (क्षेत्र संख्या-185 फतुहा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहा विधान सभा क्षेत्र 185 के फतुहा प्रखण्ड में निदेशक (मा०शि०) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1648, 1649 एवं 1650, दिनांक 27 अगस्त, 2015 के द्वारा पाँच माध्यमिक विद्यालयों का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया गया था, जिसमें मौजीपुर पंचायत के उ०म०वि०, मौजीपुर, पिताम्बरपुर पंचायत के उ०म०वि०, रसलपुर, मोमिन्दपुर पंचायत के उ०म०वि०, बुद्धचक एवं कोल्हर पंचायत के उ०म०वि०, कोल्हर एवं रूकुनपुर पंचायत के उ०म०वि०, दौलतपुर है, के शिक्षकों द्वारा उक्त विद्यालयों में नामांकन लिया जा रहा है, लेकिन अभीतक उक्त विद्यालयों में भवन का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, जिससे वहाँ के छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में परेशानी हो रही है जबकि उक्त विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के भवन का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*03. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के नगर निकायों के अन्तर्गत आने वाले बीहट नगर परिषद् स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय, बारो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मसनदपुर बीहट तथा बरौनी नगर परिषद् स्थित लालो चंपा जगती मध्य विद्यालय, बरौनी उच्च विद्यालय में उत्क्रमण के सभी मापदंडों को पूर्ण करता है, फिर भी उक्त विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण नहीं किये जाने के कारण छात्र-छात्राओं को 4 से 5 कि०मी० दूर अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सभी मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*04. श्री भरत बिन्द (क्षेत्र संख्या-205 भभुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अन्तर्गत भभुआ प्रखंड के डिहरा पंचायत के ग्राम-वरिगावां में कोई प्राथमिक शिक्षण संस्थान नहीं होने के कारण छोटे-छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है तथा वह शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कराने की व्यवस्था कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय की स्थापना

*05. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी अ०जा०)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले चेनारी के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत चेनारी एवं रोहतास प्रखण्ड में अनुसूचित जाति/जन-जाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु +2 आवासीय विद्यालय नहीं है, जिसके चलते अनुसूचित जाति/जन-जाति वर्ग के विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित आवासीय सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सभी प्रखंडों में अनुसूचित जाति/जन-जाति +2 आवासीय विद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*06. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निदेशक, मा०शि० के पत्रांक 1675, दिनांक 12 दिसम्बर, 2002 द्वारा दयानन्द विद्यालय +2 मीठापुर, पटना (एक अल्पसंख्यक विद्यालय) के प्रबंधन में वर्तमान में दान-देकर दानदाता सदस्य नहीं बनाया जा सकता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस अल्पसंख्यक विद्यालय स्थापनाकाल के दानदाता वारिस को दानदाता सदस्य न बनाते हुये बाहरी व्यक्ति को सदस्य बनाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तथाकथित दानदाता को छोड़ ऐक्ट के अनुसार वास्तविक दानदाता वारिस को दानदाता सदस्य बनाकर प्रबंध कमिटी का गठन कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्य योजना बनाना

*07. श्री अभिषेक रंजन (क्षेत्र संख्या-07 चनपटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम (स्वावलंबन) की अवधारणा पर आधारित कुल 391 बुनियादी विद्यालय संचालित हैं, जिनमें सर्वाधिक 43 बुनियादी विद्यालय पश्चिम चम्पारण जिले में स्थित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा बुनियादी विद्यालयों के संरक्षण, विकास एवं आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण की दिशा में अपेक्षित ध्यान नहीं दिये जाने के कारण अधिकांश विद्यालय जर्जर अवस्था में हैं तथा अनेक विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी बुनियादी विद्यालयों, विशेषकर पश्चिम चम्पारण जिले के 43 बुनियादी विद्यालयों का सर्वेक्षण कर उन्हें अतिक्रमणमुक्त कराने, आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा उनके संरक्षण एवं समग्र विकास के लिये विशेष कार्य योजना बनाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*08. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखण्ड अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय, रजवा (यू डाइस सं०-10190405006) भवनहीन है तथा इसका संचालन उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ताजपुर प्रखंड में उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर वाला भवनहीन है और इसका संचालन उत्क्रमित मध्य विद्यालय, फतेहपुर वाला में हो रहा है, जबकि उपरोक्त दोनों भवनहीन विद्यालयों के लिये पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरों का निर्माण

*09. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखण्ड के पंचायत मकनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय, सफीगंज में मात्र दो कमरे रहने के कारण वर्ग 1 से 5 तक की शैक्षणिक कार्यों में काफी परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय, सफीगंज में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*10. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के टिकारी प्रखंडन्तर्गत ग्राम-शाहवाजपुर में मध्य विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य 2006 में शुरू हुआ था, जो लगभग 02 दशकों के बाद भी पूर्ण नहीं हो सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम-शाहवाजपुर मध्य विद्यालय का भवन अधूरा होने के कारण छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम-शाहवाजपुर में मध्य विद्यालय भवन के अधूरा भवन का निर्माण कार्य कबतक पूरा कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*11. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड अन्तर्गत आतमा पंचायत के लोदीपुर ग्राम स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र तथा सुडी पंचायत के सुंदरबीघा ग्राम स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुये बच्चों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराने की कबतक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*12. श्री राकेश रंजन (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शाहपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बिहिया प्रखंड के पी०एम० श्री +2 उच्च विद्यालय के मैदान में खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य विगत एक वर्ष पूर्व कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्टेडियम में दौड़ने के लिये रनिंग ट्रैक, ड्रेसिंग रूम, लाइट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिससे खिलाड़ियों एवं छात्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम में खंड-2 में वर्णित सुविधाओं को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*13. श्री राहुल कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में फिल्म निर्माताओं को विभिन्न विभागों, जिलों एवं स्थानीय प्राधिकारों से पृथक-पृथक अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है, जिससे शूटिंग प्रक्रिया जटिल एवं विलंबकारी हो जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में फिल्मों, वेब सीरीज, वृत्तचित्रों एवं अन्य ऑडियो विजुअल परियोजनाओं की शूटिंग हेतु एकीकृत "वन विंडो फिल्म शूटिंग परिमिशन सिस्टम" स्थापित करने की सरकारी योजना है एवं घोषणा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा सभी आवश्यक अनुमतियाँ एक ही मंच से उपलब्ध कराने हेतु कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आधारभूत संरचना का विकास

*14. श्री आदित्य कुमार (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंडान्तर्गत राजकीय बुनियादी विद्यालय, बरियारपुर में वर्ग-1 से 8 तक के लगभग 650 बच्चे नामांकित हैं जबकि वर्ग कक्ष की संख्या मात्र 6 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ग कक्ष के साथ भवन एवं एसबेस्टस का छत काफी जर्जर होने से बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को विवश है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में आधारभूत संरचना को दूरस्त कराने के लिये पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष निर्माण

*15. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड में स्थित 10+2, गाँधी स्मारक उच्च विद्यालय, बरदहिया में लगभग 08 वर्ग कक्ष में 2000 से अधिक छात्र-छात्राएँ पठन-पाठन कार्य करते हैं तथा विद्यालय में चहारदीवारी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में चहारदीवारी छात्रों के अनुपात में वर्ग कक्ष नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रों के अनुपात में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण एवं चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*16. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मधुबन प्रखंड अंतर्गत उत्कर्मित मध्य विद्यालय, कसबा टोला, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, कौड़िया टोला (मिरयासी), नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, मनियापार बाजितपुर एवं अन्य 15 (पंद्रह) विद्यालय भवनहीन हैं, जिसके कारण पठन-पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सभी भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण कराना

*17. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चकिया प्रखंड अंतर्गत चकिया नगर परिषद् वार्ड 5, घंघटी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन अत्यंत जर्जर है एवं किसी भी समय ध्वस्त होने कि स्थिति में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण

*18. श्री मनोज कुमार (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में आजतक खिलाड़ियों के नियमित अभ्यास हेतु सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके कारण जिले के एथलीटों एवं अन्य खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है तथा प्रशिक्षण के लिये अन्य जिलों का सहारा लेना पर रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अरवल जिला के गांधी मैदान में 700 मीटर का सिंथेटिक रनिंग ट्रैक (Synthetic Running Track) निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का पदस्थापन

*19. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, घनश्यामचक में प्लस टू (+2) स्तर के विषय गणित, जंतु विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं संगीत में एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार छात्रों के भविष्य को देखते हुये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये उक्त विद्यालय में उल्लेखित विषयों के योग्य शिक्षकों को कबतक पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरों का निर्माण

*20. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के मोहनियाँ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर पंचायत मोहनियाँ के वार्ड नं०-2 में अवस्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, रसूलपुर करमहरी में मात्र 02 कमरे हैं, जबकि विद्यालय में नामित बच्चों की संख्या 500 से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कमरों के अभाव में बच्चों की पढ़ाई अवरूद्ध हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बच्चों के संख्या के अनुरूप कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*21. मो० आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय द्वारा गल्स हाई स्कूल अररिया, +2 राजकीयकृत महिला उच्च विद्यालय, अररिया में बिना प्रबंध समिति के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2025 में करा लिया गया है, जो नियम के विरुद्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित दोषी पदाधिकारी एवं कर्मी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास की व्यवस्था

*22. श्री सतीश कुमार साह (क्षेत्र संख्या-40 लौकहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल विद्यालय की स्थापना की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में नामांकित अनेक बच्चे विद्यालय से 15-20 किलो मीटर की दूरी पर निवास करते हैं तथा आवागमन की समुचित सुविधा एवं आवासीय व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन मॉडल विद्यालयों में तत्काल छात्रावास की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नए भवनों एवं खेल मैदान का निर्माण

*23. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसड़ा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय एरौत, उच्च विद्यालय बैजनाथपुर एवं वारीशनगर प्रखंड स्थित भागवत ठाकुर उच्च विद्यालय किशनपुर सहित पाँच उच्च विद्यालयों के भवन 80 से 100 वर्ष पुराने एवं जर्जर स्थिति में हैं तथा बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त कक्षाओं एवं आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, के साथ अतिरिक्त कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं खेल मैदान का निर्माण नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सभी सरकारी विद्यालयों में नए भवनों एवं खेल मैदान के निर्माण हेतु कोई समयबद्ध कार्य योजना बनाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण कराना

*24. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सिंहवाड़ा उत्तरी पंचायत में उच्च विद्यालय संचालित है, परंतु विद्यालय के पास अपना भवन एवं विद्यालय भवन के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराकर विद्यालय भवन का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*25. मो० सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत कोचाधामन प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में स्टेडियम के अभाव में खेल प्रेमियों का खेल हेतु अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, जबकि उक्त प्रखंड के ग्राम पंचायत बिशनपुर में प्रचुर मात्रा में सरकारी भूमि भी उपलब्ध है जिसपर स्टेडियम का निर्माण कराया जा सकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित स्थान पर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

*26. श्री भीषम प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखंड में तकनीकी और व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए कोई भी संस्थान नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मैरवा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं होने के कारण यहाँ के छात्र-छात्राओं को अध्ययन हेतु सुदूर अन्यत्र जगहों पर जाना पड़ता है, जिससे उनके अभिभावकों को अत्यधिक आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मैरवा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर यहाँ के युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोलना

*27. श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के बाद एक भी नवसृजित विद्यालय नहीं खोला गया है, जबकि इतने लंबे अवधि में ग्राम/टोलों/विशेषकर दलित-पिछड़े-अति पिछड़ी जातियों की संख्या काफी बढ़ी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद प्रखंड के ग्राम पंचायत पंडूई के ग्राम-मेदनीचक में जो बड़ी आबादी का ग्राम है, में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोलना अभी तक स्थापित नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अँगिका की पढ़ाई शुरू कराना

*28. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर में, बी०ए० तथा एम०ए० के लिये तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर में स्नातक स्तर पर तथा पूर्णियाँ विश्वविद्यालय पूर्णियाँ में अँगिका की पढ़ाई के लिये एकेडमिक काउंसिल, सिंडिकेट और सीनेट के द्वारा मंजूरी के बावजूद अँगिका की पढ़ाई नहीं प्रारंभ की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विश्वविद्यालय में स्नातक-सह-अँगिका की पढ़ाई कबतक प्रारंभ कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

लिपिकों की नियुक्ति

*29. श्री बाबूलाल शौर्य (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग में खगड़िया जिला सहित अन्य जिलों में प्रमंडल संवर्ग के लिपिकों की सीधी नियुक्ति तीन दशकों से नहीं हुई है, जिसके कारण प्रमंडल संवर्ग में जिलों में लिपिकों की घोर कमी है और उनका काम भी शिक्षकों को करना पड़ रहा है, जिससे इसका दुष्प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अन्य विभागों की तरह शिक्षा विभाग में भी खगड़िया जिला सहित अन्य जिलों में लिपिकों की सीधी नियुक्ति करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय का निर्माण

*30. श्री कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय नहीं रहने से क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में काफी कठिनाई होती है, जबकि प्रखंड मुख्यालय में सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्णियाँ जिला स्थित रूपौली एवम् बड़हरा कोठी प्रखंडों में कबतक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*31. श्रीमती कविता देवी (क्षेत्र संख्या-69 (कोडा (अ०जा०))--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिले के फलका प्रखंड में आजतक कोई राजकीय अथवा अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रखंडवार सूची में फलका प्रखंड में केवल संस्कृत महाविद्यालय का उल्लेख है तथा डिग्री महाविद्यालय की सूची में फलका प्रखंड का नाम शामिल नहीं है, साथ ही, उक्त संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत विषय के अलावे अन्य विषयों की पढ़ाई उपलब्ध नहीं है तथा उसका अपना भवन भी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय सरकार से विधिवत मान्यता प्राप्त नहीं है; ऐसे में फलका प्रखंड के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु अन्य प्रखंडों अथवा जिलों पर निर्भर रहना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार फलका प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*32. श्री सुरेंद्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-01 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखंड-मधुबनी के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एवं प्रखंड-बगहा 2 के हरनाटांड महाविद्यालय के नजदीक सरकारी भूमि उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों प्रखंडों में युवाओं और खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए एक आधुनिक खेल स्टेडियम नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों पर युवाओं एवं खिलाड़ियों के लिए आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*33. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिले में वर्ष 2019 से 2025 तक जल-जीवन-हरियाली मिशन के अंतर्गत 60,55,614 पौधे लगाए जाने का दावा किया गया है, साथ ही पौधारोपण पर करोड़ों रुपये व्यय होने के बावजूद विभाग के पास वर्तमान में जीवित पौधों की वास्तविक संख्या का स्पष्ट एवं अद्यतन आंकड़ा उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना में सरकारी राशि का अनुपयोग कर अनियमितता बरती गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लगाए गए पौधों के सत्यापन, निगरानी एवं संरक्षण हेतु की गई कार्रवाई करने तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्देश देना

*34. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत अस्थावाँ विधान सभा सहित पूरे राज्य के विद्यालयों में राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्र के आलोक में लैब निर्माण का कार्य किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त लैब निर्माण कार्य के लिये संबंधित एजेंसी द्वारा विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति से ना तो स्वीकृति ली जाती है और न ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लैब निर्माण कार्य में विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु एजेंसी को निर्देश देना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*35. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के पिपरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सुपौल प्रखंड उच्च माध्यमिक विद्यालय (10+2) लाउड एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय बीणा अन्दौली तथा पिपरा प्रखंड के सत्यदेव उच्च मा०वि० पिपरा में भवन का अभाव है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तीनों विद्यालय में पर्याप्त वर्ग कक्ष नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, उच्च मा०वि० लाउड में वर्ग 1 से 08 तक के लिए मात्र 06 कमरे तथा वर्ग 09 से 12 तक के लिए मात्र 02 कमरे हैं जबकि छात्रों की संख्या 950 एवं शिक्षकों की संख्या 32 है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी विद्यालयों में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*36. श्री राधाचरण साह (क्षेत्र संख्या-192 संदेश)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राम नारायण साह सर्वोदय महाविद्यालय गंज भड़सरा जिला रोहतास वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक सम्बद्ध महाविद्यालय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में विगत दस वर्षों से अधिक से न तो पूर्ण रूप से गठित शासी निकाय है और ना ही तदर्थ समिति, बल्कि इसके स्थान पर महाविद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के माध्यम से सीधे एवं स्वयं के स्तर से किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के सुगम संचालन और वित्तीय अनियमितता एवं प्रशासनिक अराजकता की रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*37. श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत प्रखंड चण्डी के ग्राम पंचायत माधोपुर के ग्राम-माधोपुर डीह में प्रा०वि० माधोपुर डीह संचालित है एवं इस विद्यालय में एक भी कमरा नहीं है तथा कुल छात्रों की संख्या लगभग 250-300 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त विद्यालय में चार कमरायुक्त भवन निर्माण नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रा०वि० माधोपुर डीह में चार कमरायुक्त भवन निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*38. श्री रत्नेश कुमार (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित राजकीय प्रेस मध्य विद्यालय, कंटाही घाट के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यालय भवन का निर्माण कार्य लंबित है, जबकि भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध है, साथ ही इसके निकट वित्त विभाग की परती भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराते हुए विद्यालय का भवन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*39. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखंड के जगदर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय, जगदर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन, स्मार्ट क्लास एवं विज्ञान प्रयोगशाला जैसी आधारभूत सुविधाओं के अभाव में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मध्य विद्यालय में लगभग 900 छात्र-छात्राएँ तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगभग 600 छात्र-छात्राएँ नामांकित हैं, जबकि दोनों विद्यालयों के संचालन हेतु कार्यालय सहित मात्र 16 कमरे उपलब्ध हैं तथा 34 शिक्षक कार्यरत हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय, जगदर के लिये नये भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*40. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां (अ०जा०))—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहां प्रखंड के 'प्राथमिक विद्यालय विशुनपुर जगदीश' का मूल भवन वर्ष 2008 में बूढ़ी गंडक नदी के कटाव में विलीन हो गया था, जिसके कारण वर्तमान में इस विद्यालय के छोटे बच्चों को 3 किलो मीटर दूर अन्यत्र टैग विद्यालय में पढ़ने जाना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचल कार्यालय, बोचहां के ज्ञापांक 666, दिनांक 14 मार्च, 2022 के अनुसार उक्त विद्यालय के नए भवन निर्माण हेतु सरकारी भूमि चिह्नित की जा चुकी है लेकिन अबतक भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चिह्नित भूमि पर 'प्राथमिक विद्यालय विशुनपुर जगदीश' के नए भवन का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*41. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)—क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के डिहरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत झारखंडी बाबा मंदिर के समक्ष वन विभाग द्वारा कई वर्ष पूर्व पार्क निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया गया था, किन्तु अब तक उक्त पार्क का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखंडी बाबा मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल है तथा पार्क का निर्माण अधूरा रहने के कारण श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों को अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पार्क का नाम "शिव-पार्वती पार्क" रखते हुए उसका सौंदर्यीकरण, आधुनिकीकरण एवं शेष निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*42. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय +2, बिन्दौल, प्रखंड-बिहटा, जिला-पटना (UDISE Code : 10280500805) में लगभग 400 छात्र-छात्राएँ नामांकित हैं, जबकि विद्यालय भवन में मात्र 4 कमरे उपलब्ध हैं, जिनमें कार्यालय, स्मार्ट क्लास एवं अन्य प्रशासनिक कार्य भी संचालित होते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में अतिरिक्त भवन, वर्गकक्ष एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

मार्क्स मेरिट (10वीं/12वीं) के आधार पर नामांकन कराना

*43. डॉ० कुमार पुष्पजय (क्षेत्र संख्या-170 बरबीघा)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निजी अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन हेतु बिहार प्राइवेट तकनीकी संस्थानों के एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन ली जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एसोसिएशन द्वारा चयनित छात्र के नामांकन के बाद भी निजी अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अन्य राज्यों के तर्ज पर बिहार में भी नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बचे हुए रिक्त सीटों पर मार्क्स मेरिट (10वीं/12वीं) के आधार पर मेधा सूची तैयार कर नामांकन लेने का निर्देश निजी अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों को देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*44. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित पताही पूर्वी पंचायत के सिंहेश्वरी सेमिनरी प्लस टू विद्यालय के खेल मैदान में अबतक खेल स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे खेल प्रेमियों एवं युवाओं को अभ्यास करने में परेशानी हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखंड पताही के पताही में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थान पर खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*45. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण कराने का प्रावधान है, परंतु सारण जिलान्तर्गत सोनपुर एवं दिघवारा प्रखंड में अभीतक स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*46. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सुगौली प्रखंड में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मल्लाह टोली में वर्ग कक्ष, शौचालय, किचेन शेड एवं चहारदीवारी का निर्माण नहीं हो पाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग 25 वर्ष पहले ब्लैक बोर्ड परियोजना से दो वर्ग कक्ष निर्मित है, जो वर्तमान में काफी जर्जर हो गया है, जबकि छात्रों की संख्या 200 से अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मल्लाह टोली में 5 वर्ग कमरा, चहारदीवारी, किचेन शेड एवं शौचालय का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*47. श्री आनन्द मिश्र (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विद्यालयों में बेंच-डेस्क आपूर्ति हेतु आवंटित रुपया 885 करोड़ के खरीद घोटाले की प्रारंभिक विभागीय जाँच रिपोर्ट में 340 स्कूलों को दोषी चिह्नित किया गया था, परंतु अंतिम रिपोर्ट जारी होने तक यह संख्या घटकर 35 रह गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य के लिए मॉडल जिला बनाये गये बक्सर में 79 जाँच अधिकारियों द्वारा कराई गई 705 विद्यालयों की जाँच में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी एवं घटिया आपूर्ति पकड़ी गई थी तथा इस अधिकारिक जाँच रिपोर्ट में दर्ज गड़बड़ियों और दोषी आपूर्तिकर्ताओं को बचाने के उद्देश्य से विभाग की फाइलों तथा डेटाबेस में प्रशासनिक स्तर पर हेरफेर की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस वित्तीय घोटाले एवं साक्ष्यों के हेरफेर के लिए जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई तथा इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एजेंसी से जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*48. श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखंड के रामदेव प्राथमिक-सह-मध्य संस्कृत विद्यालय, खरसान में प्रबंध समिति के गठन में विसंगतियाँ, कार्यरत प्रधानाध्यापक को पूर्व प्रबंध समिति द्वारा दिए गए दंड का अनुपालन नहीं होना आदि के संबंध में अधिकारियों द्वारा निर्गत पत्र संख्या 111, दिनांक 15 जनवरी, 2025 एवं पत्र संख्या 652, दिनांक 12 मार्च, 2026 जाँच हेतु दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जाँच लम्बित रहने के बावजूद प्रधानाध्यापक द्वारा अपने पुत्र सहित अन्य लोगों की अवैध नियुक्ति कर ली गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित विद्यालय में की जा रही अनियमितताओं की जाँच कर विधिसम्मत कार्रवाई करना चाहती है ?

विद्यालय भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

***49. मो0 फैसल रहमान (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)**--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ढाका प्रखंड स्थित उत्कर्मित उर्दू मध्य विद्यालय, सपही में पर्याप्त विद्यालय भवन एवं वर्ग कक्षों का अभाव है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन कार्य में कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से चहारदीवारी (बाउण्ड्री वॉल) का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है, जिससे विद्यालय परिसर की सुरक्षा एवं शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्कर्मित उर्दू मध्य विद्यालय, सपही में सुविधायुक्त विद्यालय भवन, अतिरिक्त वर्ग कक्ष तथा चहारदीवारी (बाउण्ड्री वॉल) के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

***50. श्री इन्द्रदेव सिंह (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)**--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत प्रखंड-पंचरूखी में अयोध्या अग्रवाल सनातन धर्म उच्च विद्यालय-सह-इन्टर कॉलेज, बड़कागाँव एवं गंडक उच्च विद्यालय-सह-इन्टर कॉलेज, तरवारा में विद्यार्थियों के अनुपात में पर्याप्त कमरा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक एवं कमरा पर्याप्त नहीं रहने के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य बुरी तरह से प्रभावित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कर अनुकूल वातावरण में शिक्षण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पिंक बस सेवा का विस्तार कराना

***51. श्री माधव आनंद (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)**--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी-दरभंगा मार्ग पर संचालित पिंक बस सेवा की वर्तमान संख्या एवं आवृत्ति (Frequency) यात्रियों की आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त है, जिससे विशेषकर महिला यात्रियों, छात्र-छात्राओं एवं दैनिक यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं जनसुविधा को देखते हुए उक्त मार्ग पर पिंक बस सेवा का विस्तार करने तथा अधिक फेरे (Trips) संचालित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

***52. श्री शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-97 पारू)**--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पारू विधान सभा में GOB मद के असैनिक कार्यों को वर्ष 2025 में स्थगित करने के जिलास्तरीय आदेश की अवहेलना कर कनीय अभियंता द्वारा फर्जी बिल से अवैध निकासी की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्रांक MLAP/95/26 पर मुख्य अभियंता, BSEIDC ने ज्ञापांक 3945, (दिनांक 25 मई, 2026) द्वारा जाँच समिति गठित कर 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*53. श्री अरूण कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-96 बरूरज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड में स्थित जीवछ महाविद्यालय, महमदपुर में 6 हजार से अधिक छात्र/छात्राओं को इंटर से स्नातक तक तीन भवनों में पठन-पाठन कराया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में छात्र के अनुपात में 15 अतिरिक्त वर्ग कक्ष नहीं रहने के कारण पठन-पाठन प्रभावित होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में 15 अतिरिक्त वर्ग कक्ष (भवन) का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*54. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने की सरकार की योजना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के चैलाढ़ प्रखंड एवं गम्हरिया प्रखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रश्नगत प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम बदलना

*55. श्रीमती विनिता मेहता (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के प्रखंड-नरहट अन्तर्गत ग्राम-खनवां स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नवादा रखा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पॉलिटेक्निक कॉलेज, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, डॉ० श्रीकृष्ण सिंह की जन्मस्थली खनवां में स्थित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम डॉ० श्रीकृष्ण सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, खनवां (नवादा) करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आधारभूत संरचना बहाल कराना

*56. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बेलछी प्रखंड के बराह पंचायत के बराह ग्राम अवस्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में आधारभूत संरचना के अभाव के कारण बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय में मानक के अनुरूप आधारभूत संरचना बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तक उपलब्ध कराना

*57. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के बीच NCERT की पुस्तकें दी जाती हैं परन्तु कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को NCERT की पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चालू करना

*58. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अन्तर्गत पंचायत महथी दक्षिण, वार्ड संख्या 6 के लड्डू लाल उच्च विद्यालय, सिरसी के परिसर में स्थित कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय वर्ष 2014 से ही बंद है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन

*59. श्री पप्पु कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला से पटना मुख्यालय हेतु सरकारी बस का परिचालन किया जा रहा है, तो क्या सरकार पटना-जहानाबाद-कुर्था होते हुए टेकारी तक आवागमन एवं प्रस्थान हेतु सरकारी बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*60. श्री संजय कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नवका टोला बसवरिया के लिए वर्ष 2013 में ही स्थानीय भूदाता द्वारा विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि दान में दी गई थी, जिसका सरकारी निबंधन (भूमि सुधार विभाग के स्तर पर) अबतक लम्बित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अपना भवन न होने के कारण उक्त विद्यालय को साढ़े तीन किलोमीटर दूर गवनाहा विद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है, जिससे मुख्य मार्ग पार करते समय बच्चों के साथ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और मुख्यतः दलित बस्ती के लगभग 130 छात्र-छात्राओं की शिक्षा बुरी तरह बाधित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भूमि उप-समाहर्ता के पत्रांक 368, दिनांक 4 नवम्बर, 2024 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय स्थापित कर भूमि निबंधन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए नये विद्यालय भवन के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*61. श्री सुनील कुमार पिन्टू (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिले में ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई स्थाई आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त आदर्श परीक्षा केन्द्र उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिले में एक स्थाई आदर्श परीक्षा केन्द्र सभी तकनीकी सुविधाओं के साथ खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पिंक बस परिचालन करना

*62. श्री राजू तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के गोविन्दगंज एवं अरेराज क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाएँ प्रतिदिन मोतिहारी एवं बेतिया आवागमन करती हैं, किन्तु सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने से महिलाओं को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पकड़िया बाजार से भाया पहाड़पुर-अरेराज होते हुए मोतिहारी एवं सिरनी बाजार से भाया मलाही-अरेराज होते हुए मोतिहारी मार्गों पर महिलाओं की सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पिंक बस सेवा का संचालन प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*63. श्री गोपाल कुमार अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ठाकुरगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, साहूगछ का अपना भवन नहीं है जिससे छात्र-छात्राओं को पढ़ने हेतु 2 से 3 कि०मी० दूर मध्य विद्यालय, बोरिगछ जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राथमिक विद्यालय, साहूगछ के भवन निर्माण हेतु राज्यपाल महोदय, के नाम 12 डीसमील जमीन जिसका खाता सं० 418, खेसरा 1477, 1478, 1479, थाना नं० 3 मौजा कुरुरबाधी अन्तर्गत दान किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*64. मो० गुलाम सरवर (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत डगरूआ प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, टोली, उत्कर्मित उच्च विद्यालय, दुबेली, उत्कर्मित विद्यालय, दरियापुर एवं उत्कर्मित उच्च विद्यालय, महथोर में भवन निर्माण कार्य नहीं हो सका है, जिसके कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*65. श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि महिषी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नौहट्टा प्रखंड भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित है, जिसमें एक भाग कोसी तटबंध के अंदर तथा दूसरा भाग कोसी तटबंध के बाहर स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोसी तटबंध के अंदर रहने वाले छात्रों को प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रखंड मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज तथा कोसी तटबंध के दूसरे ओर डिग्री कॉलेज की स्थापना पर विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कारवाई करना

*66. श्री रामानन्द मंडल (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ

बेटियों-बेटों को शिक्षा ग्रहण कराने हेतु जिले के सभी प्रखंडों में एक-एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 05 फरवरी, 2026 के हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दैनिक भाष्कर के पेज नं० 11 में प्रकाशित 213 प्रखंडों में नये डिग्री कॉलेज की स्थापना से संबंधित सूची में लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड में नये डिग्री कॉलेज की स्थापना से संबंधित नाम सम्मिलित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार के निर्णय के आलोक में 213 प्रखंडों में नये डिग्री कॉलेज की स्थापना से संबंधित सूची में सूर्यगढ़ा प्रखंड का नाम सम्मिलित नहीं रहने का औचित्य क्या है ?

खेल स्टेडियम का निर्माण कराना

*67. श्री आलोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत दिनारा विधान सभा क्षेत्र में आधुनिक एवं सुविधायुक्त खेल स्टेडियम उपलब्ध नहीं रहने के कारण बड़े स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, खेल प्रतिभाओं के विकास तथा क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त विधान सभा क्षेत्र के दिनारा, दावथ अथवा सूर्यपुरा प्रखंड में उपयुक्त स्थान का चयन कर एक आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना

*68. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि उच्च शिक्षा विभाग के पत्रांक 40, दिनांक 14 जनवरी, 2026 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा की जाँच प्रतिवेदन में बालिका उच्च विद्यालय, नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की अनुशंसा तथा उक्त विद्यालय द्वारा इसके लिये सहमति का शपथ-पत्र भी उपलब्ध कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगरनौसा प्रखंड मुख्यालय NH-30A पर अवस्थित है तथा प्रखंड का केन्द्र स्थान है, को छोड़कर नये डिग्री कॉलेज को मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर अन्यत्र स्थापित किया जा रहा है, जो उपर्युक्त जाँच प्रतिवेदन के विरुद्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक 40, दिनांक 14 जनवरी, 2026 के आलोक में बालिका उच्च विद्यालय, नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटकों को बस सुविधा उपलब्ध कराना

*69. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड अन्तर्गत कैथवलिया

में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में स्थापित दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की दर्शन एवं पूजन करने हेतु भारी संख्या में पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान से पर्यटकों हेतु परिवहन विभाग द्वारा यातायात की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पर्यटकों, दर्शनार्थियों एवं यात्रियों की सुविधा हेतु उक्त स्थान से राज्य के विभिन्न हिस्सों तथा राजधानी पटना, कमिश्नरी मुजफ्फरपुर तथा जिला मुख्यालय के लिये बस के आवागमन का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*70. श्री सुभाष सिंह (क्षेत्र संख्या-101 गोपालगंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा पत्रांक 48, दिनांक 02 मार्च, 2026 से विभाग को प्रतिवेदित किया गया है कि गोपालगंज जिला मुख्यालय अन्तर्गत मिंज स्टेडियम तथा पि०एम० फील्ड की चहारदीवारी झुकी हुयी है तथा ऊँचाई काफी कम है, सीटिंग स्टैंड एवं चहारदीवारी काफी जर्जर है जो कभी भी गिर सकता है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तथा सतह मुख्य सड़क से नीचे है जिसके कारण बरसात में जल-जमाव हो जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रतिवेदन के बाद भी दोनों स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम बनाने हेतु कोई पहल नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

10+2 की पढ़ाई की व्यवस्था

*71. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के नीतिगत निर्णय के आलोक में प्रदेश के सभी पंचायतों में 10+2 विद्यालय संचालित किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के मांझा प्रखण्ड के पैठानपट्टी पंचायत के अमेठी गांव में अब्दुल गफूर प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय को पी०एम० श्री विद्यालय के तहत चिन्हित कर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है, जिसमें निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 1137, दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के आलोक में सिर्फ बालिकाओं का ही नामांकन होता है, जबकि बालकों को 10+2 की पढ़ाई के लिये दूसरे पंचायतों या अन्य स्थानों में दूरी तय कर पठन-पाठन के लिये जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पैठानपट्टी पंचायत में बालकों के लिये 10+2 की पढ़ाई की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ना

*72. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या 154 पीरपैती (अ०जा०))--क्या मंत्री, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैती विधान सभा क्षेत्र में युवाओं को कौशल विकास हेतु सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे शिक्षित होने के बावजूद युवा अकुशल रहकर अन्य राज्यों में पलायन और मजदूरी करने को विवश हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु 'युवा कौशल विकास कार्यक्रम' के तहत विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पीरपैती प्रखंड में युवाओं के कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र को कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*73. श्रीमती सोनम रानी (क्षेत्र संख्या 44 त्रिवेणीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड के उच्च विद्यालय, उपरखा भवनहीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन करने में काफी कठिनाई होती है तथा विद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या काफी अधिक है, जबकि वर्ग कक्षों की संख्या आवश्यकता से भी कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना

*74. श्री राजेश कुमार मंडल (क्षेत्र सं० 82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के किसी भी पंचायत में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा सदर प्रखंड में महादलित, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा जाति एवं पिछड़ा जाति की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी सदर प्रखंड के पंचायतों में डिग्री कॉलेज नहीं रहने से उक्त समुदाय के बच्चे आर्थिक विपन्नता के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरभंगा सदर प्रखंड के अतिहर गांव में (जहां सरकारी भू-खण्ड उपलब्ध है) एक डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वन स्टॉप सेंटर स्वीकृति

*75. श्री सुजीत कुमार (क्षेत्र सं० 79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मिशन शक्ति की उप-योजना 'संबल' के तहत गौड़ाबौराम में कार्यरत वन स्टॉप सेंटर एवं 'सामर्थ्य, उप-योजना के अंतर्गत 'शक्ति सदन' एवं 'सखी निवास' की स्थापना की कार्यवाही अबतक नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कटिहार जिला के गौड़ाबौराम प्रखंड में उक्त योजना का कार्यान्वयन कब से कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*76. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड बैसा में 10 उच्च विद्यालय एवं 08 प्राथमिक विद्यालय भवनहीन है तथा अमौर प्रखंड में 23 प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनहीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालयों के भवन निर्माण नहीं होने से छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों के भवनहीन विद्यालयों में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरा एवं चहारदीवारी का निर्माण

*77. श्री कुमार प्रणय (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत सदर प्रखंड स्थित +2 गांधी उच्च विद्यालय, कुतलुपर में मात्र 2 कमरों में पठन-पाठन का कार्य हो रहा है जिससे छात्र-छात्राओं सहित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित विद्यालय में चहारदीवारी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों एवं मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित विद्यालय में पठन-पाठन हेतु पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त कमरों के निर्माण सहित चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कंप्यूटर विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाना

*78. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी (IT) AI और डिजिटल तकनीकी का युग है, फिर भी राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में कंप्यूटर विज्ञान एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत अधिकांश कंप्यूटर शिक्षक BCA, MCA, B. Tech या कंप्यूटर विषय में स्नातकोत्तर योग्यताधारी हैं और विभाग द्वारा उन्हें प्रारंभ से ही प्रशिक्षित मानकर वेतनमान दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कंप्यूटर विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाने तथा कार्यरत अनुभवी कंप्यूटर शिक्षकों को B.Ed. की अनिवार्यता से छूट देने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*79. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अपने पहचान के लिये आधार कार्ड सभी व्यक्तियों के लिये जरूरी प्रमाण-पत्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आधार कार्ड में गलत जन्म तिथि में सुधार के लिये जन्म प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है बिना जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये सुधार नहीं हो सकता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पूर्व में आधार कार्ड बना है, जिसमें मेहनतकश मजदूर जो अशिक्षित होते हैं, जिसके पास कोई जन्म प्रमाण-पत्र नहीं है, वे सरकारी लाभ से वंचित है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैसे अशिक्षित व्यक्ति जिनके पास जन्म प्रमाण-पत्र नहीं है, उन्हें शपथ-पत्र के जरिये अपने आधार में जन्म तिथि सुधार करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*80. श्री विमल राजवंशी (क्षेत्र संख्या-235 रजौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के रजौली प्रखंड अंतर्गत हरदिया, सवैयाटॉड एवं आस-पास के अन्नक, पत्थर तथा अन्य खनिज क्षेत्रों की खनन लीज वर्ष 2006 में समाप्त होने के उपरांत भी निकटवर्ती राज्य झारखंड से जुड़े खनन माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है एवं अवैध खनन के सम्बंध में स्थानीय प्रशासन एवं सम्बंधित विभागों की लापरवाही अथवा मिलीभगत से केवल स्थानीय गरीब ग्रामीणों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराकर अवैध खनन में संलिप्त बड़े माफियाओं एवं दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुये इन क्षेत्रों का पुनः सर्वेक्षण कर नियमानुसार खनन लीज की प्रक्रिया प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा प्रारंभ करना

*81. श्री अरूण कुमार (क्षेत्र संख्या-180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर-खुसरूपुर-नगरनौसा-दनियावां तथा बख्तियारपुर-खुसरूपुर-फतुहा-दनियावां मार्ग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की नियमित बस सेवा संचालित नहीं होने के कारण विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, नौकरीपेशा व्यक्तियों एवं आम नागरिकों को प्रतिदिन आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों मार्गों पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की नियमित बस सेवा अप एवं डाउन दिशा में प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण

*82. श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शेरघाटी एवं आमस प्रखंड में एक भी खेल का मैदान नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्रों के युवाओं में खेल के प्रति काफी रुझान रहने के बावजूद खेल मैदान नहीं होने से उनके खेल के प्रति लगाव कम होता जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेरघाटी एवं आमस प्रखंड में खेल के मैदान बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*83. श्री मनोज विश्वास (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1980 में राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालयों के राजकीयकरण का निर्णय लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि आज भी अनेक अल्पसंख्यक विद्यालय राजकीयकरण से वंचित है, जिससे हजारों शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी नियमित वेतन एवं सेवा लाभ से दूर हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को कबतक राजकीयकरण कराते हुए विद्यालयों कि यूनिट आवंटित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड शिफ्ट करना

*84. श्री अतिरेक कुमार (क्षेत्र संख्या-78 कुशेश्वरस्थान (अ०जा०))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कुशेश्वरस्थान में स्थायी बस स्टैंड नहीं रहने के कारण बीच शहर में बस स्टैंड के रूप में संचालित होने से शहर में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे मरीजों सहित आमजनों को आवागमन में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बस स्टैंड को मुख्य बाजार से बाहर के इलाके में स्थानांतरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण

*85. डॉ० प्रकाश चंद्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड में कुल 16 उत्कृष्ट एवं मध्य विद्यालय वर्तमान में भूमि, भवन अथवा आधारभूत संरचना के अभाव में अस्थायी एवं जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों के पठन-पाठन, सुरक्षा तथा नामांकन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, घेटरा का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा विद्यालय को भवन हस्तांतरित नहीं किया गया है, जबकि कुछ अन्य विद्यालयों यथा गुलजार बिगहा, हरदान बिगहा, विशम्भर बिगहा, रामजीवन बिगहा, अमरपुरा, सिंहपुरा चंदरी, उर्दू विद्यालय कारा आदि को विभागीय पत्रांक 4908, दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 के आलोक में संबद्ध कर संचालित किया जा रहा है, परंतु उनके पास स्वयं की भूमि अथवा भवन उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी भूमिहीन विद्यालयों के लिए भूमि अधिग्रहण/हस्तांतरण की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*86. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 (केसरिया))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के पिपराखेम पंचायत में अवस्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, ध्रुवपकड़ी का भवन नहीं रहने के कारण दो वर्ष पूर्ण उसे दो किलोमीटर दूर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, कमालपकड़ी के साथ टैग कर दिया गया है जिसके कारण छोटे-छोटे बच्चों को भारी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, ध्रुवपकड़ी के भवन का निर्माण कर उसमें पठन-पाठन प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*87. श्री विशाल कुमार (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नरकटिया विधान सभा क्षेत्र के लगभग सभी विद्यालयों का निर्माण कार्य लगभग 1 वर्ष पहले से प्रारंभ हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सभी विद्यालयों का निर्माण कार्य अधूरे छोड़कर संवेदक भाग गये हैं, जबकि उन विद्यालयों में लगभग चार या पाँच क्लास रूम में ही 10वीं या 12वीं तक पढ़ाई होती है, जिससे छात्रों के पठन-पाठन में असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के साथ विद्यालय भवन में अतिरिक्त क्लास रूम बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लोक कला प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना कराना

*88. श्री रोहित पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर की समृद्ध साहित्यिक परंपरा, लोक कलाओं एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन तथा इनके व्यवस्थित प्रशिक्षण, शोध, दस्तावेजीकरण एवं नई पीढ़ी तक हस्तांतरण की आवश्यकता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार भागलपुर में लोक कला प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*89. श्री अनिल सिंह (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी नवादा एवं पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच खरखदुआ में पत्थर माईनिंग की लीज (ब्लॉक बी) के हुए इकरारनामा की कॉडिका (44) में वर्णित है कि पत्थर की ढुलाई मुख्य सड़क से की जायेगी न कि PMGSY रोड से ;

(2) क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नवादा जिला सहित पूरे राज्य के पत्थर एवं बालू की ढुलाई मुख्य सड़क से ही करने का निदेश जारी होने के बावजूद PMGSY सड़कों से ढुलाई की जा रही है जिससे नवादा सहित राज्य की अधिकांश PMGSY सड़कों क्षतिग्रस्त हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक PMGSY सड़कों से बालू-पत्थर की ढुलाई पर रोक लगाने तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*90. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड अंतर्गत ओकरी में एकलौता कन्या विद्यालय (रामानंद शर्मा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) का भवन जर्जर हो चुका है, वर्तमान में वहां 1000 से अधिक छात्राएं अध्ययन कर रही हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवन को ध्वस्त करके नए विद्यालय भवन का निर्माण का कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*91. श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कदवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुर्सेला पंचायत के रामनगर प्राथमिक विद्यालय कालदेही, प्राथमिक विद्यालय तेहलिया पंचायत के निगेल प्राथमिक-सह-मध्य विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण पठन-पाठन में असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सभी विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

केंद्रीय विद्यालय की स्थापना

*92. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रामगढ़ विधान सभा सहित पूरे कैमूर जिले में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है,

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय विद्यालय न होने से उक्त विधान सभा सहित कैमूर जिले के छात्र-छात्राओं को केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए 80 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कैमूर जिला अन्तर्गत रामगढ़ विधान सभा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन शुरू कराना

*93. श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 38 जिलों में 211 नवसृजित राजकीय महाविद्यालयों में पठन-पाठन 1 जुलाई, 2026 से संचालित करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु उक्त निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बावजूद अबतक उक्त महाविद्यालयों में पठन-पाठन चालू नहीं किया गया है जिससे उक्त महाविद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त महाविद्यालयों में पठन-पाठन शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*94. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रुन्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रुन्नीसैदपुर प्रखण्ड अन्तर्गत प्रेमनगर पंचायत के ग्राम-प्रेमनगर होते बहुरी वार्ड 15 में 10+2 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय है, विद्यालय का भवन जर्जर रहने के कारण छात्र/छात्राओं को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन एवं चहारदीवारी कबतक बनवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*95. मो० कमरूल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को उनके वेतन भुगतने राशि का 12 प्रतिशत राशि EPF के रूप में कटौती कर शिक्षकों के खाते में जमा की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) की मिलीभगत से शिक्षकों के वेतन से कटौती की गयी EPF राशि को उनके खाते में जमा नहीं की गयी, जिसके कारण वर्ष 2025 में लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपये का दंड अधिरोपित किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, किशनगंज द्वारा उक्त 3 करोड़ 80 लाख के दंड की राशि को वेतन भुगतान मद में व्यय दिखाकर उसकी उपयोगिता प्रामाण-पत्र महालेखाकार कार्यालय, पटना को समर्पित कर दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कराना

*96. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरुआ)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत गुरारू प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत सीमारू के बरवाडीह एवं देवकुली महादलित टोला में सामुदायिक कार्यों के लिये कोई भवन नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मुहल्लों में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

शताब्दी महोत्सव मनाना

*97. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के तेघड़ा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मेला का आयोजन 1927 से लगातार वृहत पैमाने पर होता आ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि देशभर में मथुरा के बाद श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का यहां सबसे बड़ा मेला लगता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तेघड़ा जन्माष्टमी मेलों को इस वर्ष शताब्दी महोत्सव मनाने के लिये राशि आवंटन का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महिला महाविद्यालय निर्माण

*98. श्री भरत बिन्द (क्षेत्र संख्या-205 भभुआ)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अन्तर्गत रामपुर प्रखंड में छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये कोई महिला महाविद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महिला महाविद्यालय के अभाव में उक्त प्रखंड के छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है जिसके कारण वह उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड में महिला महाविद्यालय निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*99. श्री अभिषेक रंजन (क्षेत्र संख्या-07 चनपटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिले के मझौलिया प्रखंड अन्तर्गत राजकीय मध्य विद्यालय, धोकराहा में पदस्थापित शिक्षक श्री वीरेन्द्र मांझी पश्चिम बंगाल विधान सभा आम निर्वाचन, 2026 के दौरान हिंगलगंज विधान सभा क्षेत्र में कई राजनीतिक नेताओं के साथ चुनाव प्रचार एवं अन्य राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं तथा फोटो एवं वीडियो में चुनाव प्रचार मंदिर में पूजा-अर्चना तथा अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुये दिखाई दे रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वे पूर्व में जिला स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, पश्चिम चम्पारण के सदस्य रह चुके हैं तथा उनके सार्वजनिक सोशल मीडिया प्रोफाइल में स्वयं को "प्राथमिक शिक्षक-सह-पूर्व प्रमुख, बीस सूत्री सदस्य" अंकित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 एवं अन्य प्रासंगिक नियमों के अन्तर्गत विभागीय जाँच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहेगी, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कमरों का निर्माण

*100. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत काशीचक प्रखण्ड के पंचायत खखरी स्थित प्राथमिक विद्यालय, मधेपुर में मात्र दो कमरे क्षतिग्रस्त हैं तथा कमरों की संख्या कम रहने के कारण वर्ग 1 से 5 तक की शैक्षणिक कार्यों में काफी परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय, मधेपुर में अतिरिक्त कमरों का निर्माण करवाने की विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*101. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 11/योजना 18-1/2021 (अंश) 667, दिनांक 28 मार्च, 2022 द्वारा गयाजी जिला के प्रखंड कोंच स्थित ग्राम पंचायत परसावां के अन्तर्गत मध्य विद्यालय, चतुरी बिगहा को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु (अधिकतम 10 वर्ग कक्ष) रुपये 195.14 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ग्राम-चतुरी बिगहा में विद्यालय का भवन निर्माण कार्य कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*102. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड में अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये सरकारी छात्रावास की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार एकंगरसराय प्रखंड में अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

इंडोर स्टेडियम का निर्माण

*103. श्री राकेश रंजन (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बिहियां नगर परिषद् एवं इसके आस-पास के विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती, कबड्डी भारोत्तोलन (वेटलिफ्टिंग) तथा शतरंज जैसे इनडोर खेलों के अभ्यास के लिये खिलाड़ियों के पास एक भी इनडोर स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण यहां के प्रतिभावान खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिये समय पर और विपरीत मौसम के अनुकूल अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य के शहरी एवं अर्द्ध-शहरी निकायों में खेल-प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की अपनी नीति के तहत बिहियां नगर में एक आधुनिक इनडोर स्टेडियम (मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स हॉल) के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण

*104. श्री आदित्य कुमार (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ0जा0))--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के मुरौल प्रखंड में एक भी खेल का मैदान नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड के पिलखी पंचायत अन्तर्गत ग्राम-विद्याझाँप में खेल मैदान के निर्माण हेतु पर्याप्त मात्रा में सरकारी भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुरौल प्रखंड के विद्याझाँप स्थित सरकारी भूमि पर खेल मैदान का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*105. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबनी) -क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत फेनहारा प्रखंड के मधुबनी पंचायत स्थित राजकीय मध्य विद्यालय, कालूपाकड़ में कक्षा 8 तक पठन-पाठन का कार्य होता है तथा 500 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का वर्तमान भवन जर्जर हो चुका है तथा छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुरूप में पर्याप्त वर्ग कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष एवं शिक्षकों हेतु स्टाफ कक्ष एवं विद्यालय का चहारदीवारी नहीं रहने से पठन पाठन एवं विद्यालय संचालन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के पुराने भवन का जीर्णोद्धार, 5 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, शिक्षकों हेतु स्टाफ कक्ष एवं विद्यालय की चहारदीवारी के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लीचीपुरम महोत्सव का आयोजन कराना

*106. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या 17 पिपरा) -क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला का मेहसी लीची उत्पादन में अग्रणी है एवं यहाँ हर वर्ष स्थानीय स्तर पर लीचीपुरम उत्सव समिति द्वारा दो दिवसीय लीचीपुरम उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग सम्मिलित होते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि लीचीपुरम उत्सव केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं अपितु चम्पारण की पहचान, किसानों की मेहनत और बिहार की समृद्ध कृषि परम्परा का उत्सव है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मेहसी में हर वर्ष सरकारी स्तर पर लीचीपुरम महोत्सव का आयोजन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*107. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या 155 कहलगौव)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगौव में उत्तरवाहिनी गंगा नदी के तट पर स्थित श्मशान घाट से वर्तमान में पानी के जहाज (वैसल) का संचालन किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त श्मशान घाट पर प्रतिदिन बिहार एवं झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग दाह-संस्कार हेतु आते हैं, जिन्हें जहाज के संचालन के कारण अंतिम संस्कार के लिए वहाँ से लगभग 10 किलो मीटर दूर बटेश्वर स्थान जाना पड़ता है, जिससे आमजनता को अत्यधिक असुविधा हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसी अन्य स्थान पर बुनियादी ढांचे (Infrastructural Facility) का विकास कर वहाँ से पानी के जहाज का संचालन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*108. मो0 आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णियाँ द्वारा सरकारी राशि गबन के आरोप में अपने पत्रांक 362, दिनांक 9 फरवरी, 2026 के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया को जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया के कार्यालय के प्रधान लिपिक, धीरज कुमार साह एवं संबंधित दोषी पदाधिकारी पर आरोप-पत्र गठित कर क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया द्वारा इस मामले में दोषी कर्मी एवं पदाधिकारी को बचाने का प्रयास किया गया, जिसके लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णियाँ द्वारा आपत्ति दर्ज कर आरोप-पत्र भेजने का निर्देश दिया गया, जो अबतक अप्राप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित सरकारी राशि गबन के दोषी कर्मी एवं पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बसों का परिचालन करना

*109. श्री सतीश कुमार साह (क्षेत्र संख्या-40 लौकहा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखंड मुख्यालय से राजधानी पटना आने-जाने हेतु सीधी एवं नियमित बस सेवा उपलब्ध नहीं रहने के कारण क्षेत्र के हजारों आम नागरिकों, छात्र-छात्राओं, मरीजों एवं व्यवसायियों को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पटना से लौकही वाया फुलपरास मार्ग पर दो सरकारी बसों का परिचालन प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*110. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसडा (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि के0 जी0 एकेडमी +2, सिँघिया, +2 उच्चतर विद्यालय, बांगरहट तथा +2 उच्च विद्यालय, बैधनाथपुर के विद्यालय भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में हैं, जिससे छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर भवनों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर नये विद्यालय, भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*111. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 228, दिनांक 24 नवम्बर, 2009 द्वारा दरभंगा जिले के जाले प्रखंड अन्तर्गत जे0 एम0 उच्च विद्यालय, कमतौल में स्टेडियम निर्माण स्वीकृति के बावजूद निर्माण नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को काजी अहमद डिग्री कॉलेज, जाले में आयोजित जिलास्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के अवसर पर विभागीय मंत्री ने उक्त मैदान में स्टेडियम निर्माण की सार्वजनिक घोषणा की थी तथा उसके आलोक में खेल विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा पत्रांक 1263, दिनांक 30 मार्च, 2026 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, दरभंगा से प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो अबतक विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कॉलेजों के स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*112. मो0 सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड अन्तर्गत कुट्टी पंचायत अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, फुलवारी, सोंथा पंचायत अन्तर्गत +2 प्रोजेक्ट किसान बालिका उच्च विद्यालय, सोंथा, चकला पंचायत अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय चकला घाट सहित कई पंचायतों के अधीन मध्य विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय एवं +2 उच्च विद्यालय का भवन जर्जर रहने के कारण छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड के सभी पंचायतों में उच्चस्तरीय जाँच कराकर जर्जर भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लम्बित अनुदान जारी करना

*113. श्री भीषम प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (सारण) से सम्बद्धता प्राप्त अनुदानित डिग्री महाविद्यालयों को सत्र 2007-10 के बाद से बिहार सरकार के द्वारा अनुदान की राशि नहीं दिये जाने के कारण कार्यरत व्याख्याता, शिक्षकेतर कर्मी एवं उनके परिजन भूखमरी के कगार पर हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के दूसरे विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त अनुदानित डिग्री महाविद्यालयों में सत्र 2014-17 तक की अनुदान की राशि बाँटी जा चुकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (सारण) से सम्बद्धता प्राप्त अनुदानित डिग्री महाविद्यालयों की लम्बित अनुदान की राशि को एकमुश्त भुगतान कर उनके कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक मानवीय जीवन जीने एवं आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*114. श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के रतनी फरीदपुर प्रखंड में प्लस टू उच्च विद्यालय, रकसिया में भवन का निर्माण नहीं कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में छात्र-छात्राओं की काफी संख्या के कारण पठन-पाठन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, जबकि उक्त विद्यालय में पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बताना

*115. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि BPSC TRE-1 (2023) में 1.70 लाख पद के लिए, BPSC TRE-2 (2024) में 1.22 लाख पद के लिए और BPSC TRE-3 में 87 हजार पदों के लिए नियुक्ति आवेदन मांगी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले तीन साल से TRE-4 के लिए नोटिफिकेशन नहीं लाया गया है, चुनाव के पहले वादा किया गया था कि 1.50 लाख पदों के लिए शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा, फिर भी मात्र 20000 पदों के लिए बहाली निकाली जा रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सीटेट और स्टेट क्वालिफाईड बच्चों के लिए BPSC TRE परीक्षाओं में पीटी के बाद भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाती थी, फिर भी BPSC TRE मेन्स की बाध्यता अनिवार्य किये जाने का क्या औचित्य है ?

सरकारी बस सेवाएं शुरू कराना

*116. श्री बाबुलाल शौर्य (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता) क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 तक परबत्ता विधान सभा क्षेत्र को खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, पटना एवं अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए सरकारी बस सेवाएं चलती थी, जिसके बंद हो जाने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार परबत्ता विधान सभा क्षेत्र को खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, पटना एवं अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए नई सरकारी बस सेवाएं कबतक शुरू करने पर विचार करती है, नहीं, तो क्यों ?

राजकीय पॉलिटेक्निक एवम् तकनीकी संस्थान स्थापित कराना

*117. श्री कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला अंतर्गत रूपौली विधान सभा क्षेत्र अति-पिछड़ा एवं बाढ़ प्रभावित के साथ-साथ जिला मुख्यालय से 70 किलो मीटर दूर स्थित है जिससे यहां के छात्र छात्राओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के नहीं रहने से उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने में काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखंड मुख्यालय स्थित सरकारी भूमि उपलब्ध है जिसमें राजकीय पॉलिटेक्निक एवं तकनीकी संस्थान के निर्माण हो जाने से क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने में सहूलियत होगी ;

(3) यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक रूपौली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना कराना

*118. श्रीमती कविता देवी (क्षेत्र संख्या-69 कोढ़ा (अ0जा0))--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र के कोढ़ा एवं फलका प्रखंड में एक भी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नहीं है, जिससे स्थानीय विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, क्या तो सरकार स्थानीय युवाओं के हित में कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करना

*119. श्री सुरेंद्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-01 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा 2 प्रखंड के मदनपुर से पनियाहवा तक पथ (सड़क) निर्माण का कार्य किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का मार्ग वन विभाग के जंगल से होकर गुजरने के कारण, वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) अप्राप्त रहने की वजह से निर्माण कार्य बहुत दिनों से बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कार्य को पूरा कराने हेतु वन विभाग से (NOC) प्राप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*120. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत अस्थावाँ एवं सरमेरा प्रखंड के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु नियुक्त साधनसेवी कर्मी अपने कार्य स्थल पर ससमय उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं सामग्रियों की उपलब्धता प्रभावित होती है, यदि हाँ, तो सरकार साधनसेवी कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का संचालन

*121. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के किशनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत सुखासन पंचायत के ग्राम-चिल्हवा में प्राथमिक विद्यालय, चिल्हवा (U-DISE-10060304301) विवादित जमीन में संचालित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सुखासन वार्ड नं०-01 नहर के पश्चिम विद्यालय के नाम से भूमि उपलब्ध है, जिसका खाता संख्या-282, खेसरा संख्या-3057, रकबा-14डो0 है, जो विवादित नहीं है ;

(3) क्या यह बात सही है कि वार्ड नं०-01 में भी सरकारी विद्यालय नहीं है जबकि छात्रों की संख्या काफी अधिक है, जिसे नहर के पूरब पठन-पाठन के लिए जाना पड़ता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक विद्यालय की स्वयं की भूमि पर विद्यालय संचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यातायात का सुगम परिचालन

*122. श्री राधाचरण साह (क्षेत्र संख्या-192 सदैश)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आरा-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग-922 पर भोजपुर जिला कोइलवर प्रखण्ड अंतर्गत सकड़डी चौक से मनभावन मोड़ तक तीन कतारों में ट्रकों के खड़े रहने के कारण सकड़डी मोड़ से टोलगेट तक विपरीत लेन में वाहन चालकों द्वारा गाड़ियों के परिचालन से अक्सर सड़क दुर्घटनाएँ होती रहती है ;

(2) यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त स्थान पर यातायात के सुगम परिचालन हेतु प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष का निर्माण

*123. श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत प्रखण्ड हरनौत के ग्राम पंचायत सोराडिह के ग्राम-बेढ़ना में प्रा० वि० बेढ़ना संचालित है एवं कुल छात्रों की संख्या लगभग 75-80 है तथा इस विद्यालय में एक भी कमरा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में वर्ग कक्ष नहीं रहने के कारण छात्रों की पठन-पाठन में असुविधा हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रा० वि० बेढ़ना में वर्ग कक्ष का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*124. श्री रत्नेश कुमार (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत राजकीयकृत तैलिक उच्च विद्यालय, महाराजगंज, मीना बाजार, पटना सिटी का भवन जर्जर अवस्था में है तथा वहां मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*125. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय प्रखंड के वन्दार पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक 10+2 विद्यालय, वन्दार के मेन गेट एवं चहारदीवारी निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक 156, दिनांक 2 फरवरी, 2026 के माध्यम से BSEIDC पटना से प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है परंतु आजकल किसी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण चहारदीवारी का निर्माण लंबित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विभागीय पत्र के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति एवं निविदा की कार्रवाई करते हुए उक्त विद्यालय के मेन गेट एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*126. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड में उच्च माध्यमिक विद्यालय, महुवाआ पूर्वी, उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेमरा सहित कई मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर +2 विद्यालय में परिणत किया गया है, परंतु अबतक उक्त विद्यालयों सहित दस उत्क्रमित +2 विद्यालयों के लिए +2 विद्यालय भवन का निर्माण नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि विद्यालय निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उत्क्रमित +2 विद्यालयों के +2 विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कबतक प्रारंभ कर पूर्ण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अम्बिका महोत्सव का आयोजन

*127. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत दिघवारा प्रखंड के आमी स्थित माँ अम्बिका भवानी मंदिर राज्य के प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके दर्शन एवं पूजन हेतु भारी संख्या में श्रद्धालुओं का वहां आगमन होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक माँ अम्बिका भवानी मंदिर में अम्बिका महोत्सव का आयोजन प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*128. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सुगौली विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड सुगौली के पंजिअरवा पंचायत के पंचभिड़वा अनुसूचित जाति महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शोड निर्माण हेतु मौजा-पंचभिड़वा, थाना नं० 16, खाता 18, खेसरा सं० 422, रकबा 50x60 में सरकारी भूमि उपलब्ध है, जो वर्क शोड भवन बनने की सभी शर्तें पूरी करता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थल पर सामुदायिक भवन-सह-वर्कशोड का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अधिसूचित करना

*129. श्री आनन्द मिश्र (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE) के कई चक्र पूरे होने के बावजूद वर्ष 2024 से विशेष रूप से कम्प्यूटर विज्ञान शिक्षकों के लिए एक स्पष्ट सेवा नियमावली जारी नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस स्थायी नियमावली के अभाव में हजारों IT और कम्प्यूटर साइंस स्नातक युवाओं को रोजगार अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है और रिक्तियों को तदर्थ व्यवस्था के तहत रखा जा रहा है या उसमें देरी की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आगामी टीआरई 4.0 जैसी परीक्षाओं का रास्ता साफ करने के लिए किस निश्चित तिथि तक समर्पित कम्प्यूटर शिक्षक नियमावली को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*130. मो० फैसल रहमान (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ढाका प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पड़री का अपना स्थायी भू-खंड उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण विद्यालय का संचालन एवं पठन-पाठन कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को आधारभूत शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है तथा विभागीय मानकों के अनुरूप विद्यालय का समुचित विकास संभव नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पड़री हेतु उपर्युक्त सरकारी भूमि उपलब्ध कराकर स्थायी विद्यालय भवन के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*131. श्री इन्द्रदेव सिंह (क्षेत्र संख्या-110 बडहरिया)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अंतर्गत बडहरिया प्रखंड मुख्यालय के गाँधी स्मारक उच्च विद्यालय-सह-इन्टर कॉलेज के प्रांगण में निर्माणाधीन स्टेडियम का कार्य कई वर्षों से लंबित है जिससे समीपवर्ती गाँवों के छात्र-छात्राओं, खिलाड़ियों एवं ग्रामीणों में भारी असंतोष व्याप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से स्थानीय प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं, खिलाड़ियों को अभ्यास करने एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्टेडियम का कार्य पूर्ण करके खेल-कूद बहाल कसने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*132. श्री माधव आनंद (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिले में निर्माणाधीन जिला स्टेडियम के निर्माण कार्य की गुणवत्ता, प्रयुक्त निर्माण सामग्री तथा कार्य निष्पादन में अनियमितताओं को लेकर स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायतें मिल रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्माण कार्य के गुणवत्ता की जाँच नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी जिला स्टेडियम का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का पुनर्निर्माण

*133. श्री शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-97 पारु)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पारु विधान सभा क्षेत्र के सरैया प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिशुनपुर केशो का भवन अत्यंत जर्जर स्थिति में रहने के कारण आए दिन भवन के हिस्से टूटकर गिरने से छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की सुरक्षा का निरंतर खतरा बना रहता है तथा विद्यालय में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा का भी घोर अभाव है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर विद्यालय भवन पर नए विद्यालय भवन का पुनः निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*134. श्री अरुण कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-96 बरुराज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के बर्जी पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालय, महवल जो वार्ड नं० 6 में स्थित है, के विद्यालय भवन का कार्य 50 प्रतिशत जो 6 वर्ष पूर्व किया गया है, को अधूरा कार्य छोड़कर संवेदक भाग गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*135. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास को बढ़ावा देने तथा खेल-कूद को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम निर्माण कराने की नीति है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के धैलाढ़ में स्टेडियम का निर्माण नहीं होने से खिलाड़ियों को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आधारभूत संरचना बहाल कराना

*136. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के अधमलगौला प्रखंड के उस्मानपुर पंचायत स्थित उत्कर्मित उच्च विद्यालय में आधारभूत संरचना के अभाव के कारण बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उत्कर्मित उच्च विद्यालय में मानक के अनुरूप आधारभूत संरचना बहाल कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मॉडल भवन का निर्माण

*137. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत टभका के +2 ईश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं साखमोहन पंचायत के +2 इन्द्रावती उच्च विद्यालय को वर्ष 2022 में उत्कर्मित करने की स्वीकृति मिली थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उत्कर्मित के 4 वर्ष बाद भी उक्त विद्यालय में मॉडल भवन का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालयों में मॉडल भवन का निर्माण कब तक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*138. श्री संजय कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या- 03 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्य केंद्र बिंदु और नेपाल सीमा से सटा नरकटियागंज (क्षेत्र संख्या 03) सुदूर 'थरुहट अंचल' के नागरिक के आवागमन का भी मुख्य केंद्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा के लिए राजधानी पटना आते-जाते हैं, परंतु सीधी सरकारी बस सेवा (State Transport) न होने से छात्रों और गंभीर मरीजों को भारी परेशानी तथा निजी बसों द्वारा आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रों के भविष्य और जनहित को देखते हुए नरकटियागंज से पटना के लिए अविर्लभ कम-से-कम 05 सरकारी बसों का नियमित परिचालन शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*139. मो० गुलाम सरवर (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत उत्कर्मित उच्च विद्यालय चौपड़ा, उत्कर्मित उच्च विद्यालय सियारखम एवं उत्कर्मित उच्च विद्यालय महलवाडी के भवनों का निर्माण कार्य कुछ ही वर्ष पूर्व कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि निर्माण कार्य में अनियमितता के कारण कुछ ही वर्षों में तीनों भवनों की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है, छतों से गिट्टी बालू निकल रहा है, पानी का रिसाव हो रहा है, फर्श जर्जर एवं दीवारों का प्लास्टर झड़ने से छात्रों की सुरक्षा पर व्याप्त खतरा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त घटिया निर्माण कार्य कराने वाले संवेदकों और दोषी पर कार्रवाई के साथ भवनों का मरम्मत कार्य करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का उत्क्रमण

*140. श्री रामानन्द मंडल (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड अन्तर्गत उरैन पंचायत के शिवडीह ग्राम में प्राथमिक विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के इर्द-गिर्द मध्य विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्रों को लगभग 05 कि०मी० की दूरी तय कर अन्यत्र स्थानों पर मध्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाना पड़ता है जिससे कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय की स्थापना

*141. श्री आलोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिनारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दावथ प्रखंड के दावथ पंचायत, ग्राम-दावथ में +2 उच्च विद्यालय स्थापित नहीं है वर्तमान में यहाँ स्थित मध्य विद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं, मध्य विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जिससे उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार मध्य विद्यालय, दावथ के परिसर में +2 उच्च विद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतनमान का लाभ देना

*142. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य विद्यालय लिपिक/विद्यालय परिचारी संवर्ग नियमावली, 2005 के तहत 6,421 विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारियों की नियुक्ति सँविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा बनाई गई नियमावली के अनुसार की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सँविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियुक्त कर्मी नियमित वेतनमान के पात्र हैं तथा विभाग द्वारा उनका PRAN भी जेनरेट किया गया है, इसके बावजूद शिक्षा विभाग की अधिसूचना सं० 178/179, दिनांक 11 फरवरी, 2026 द्वारा उन्हें नियमित वेतनमान के स्थान पर क्रमशः रु० 16,500 एवं रु० 15,200 का नियत वेतन दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय लिपिकों एवं परिचारियों को अनुच्छेद 309 के अनुरूप नियमित वेतनमान (ग्रेड पे रु० 1800/ रु० 1900 अथवा समकक्ष वेतन स्तर) का लाभ प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन तथा अन्य सुविधाओं हेतु

*143. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत श्री शालिक उच्च विद्यालय +2 बाकरपुर आदर्श विद्यालय में चयनित हो चुका है, जिसमें छात्र-छात्राओं की संख्या 2500 से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुपात में भवन तथा अन्य सुविधाओं की कमी है जिससे पठन-पाठन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं के हित में भवन तथा अन्य सुविधाओं का निर्माण कराकर पठन-पाठन को सुदृढ़ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*144. श्री सुभाष सिंह (क्षेत्र संख्या-101 गोपालगंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कमला राय कॉलेज और महेंद्र महिला महाविद्यालय में स्नातक और स्नाकोत्तर में क्रमशः 6100 और 5000 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं तथा विद्यार्थियों के अनुपात में वर्ग संचालन हेतु कमरों को घोर अभाव है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कमरों के अभाव में विज्ञान संकाय का वर्ग संचालन भि०एम० स्कूल के भवन में किया जा रहा है जो कमला राय कॉलेज से 2 कि०मी० दूर है ;

(3) उक्त दोनों महाविद्यालयों में प्रशासनिक भवन भी नहीं है जिसके कारण प्रबंधन कार्य में काफी असुविधा होती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन महाविद्यालयों में वर्ग संचालन और प्रशासनिक कार्य हेतु भवन निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष का संचालन

*145. श्रीमती सोनम रानी (क्षेत्र संख्या-44 (त्रिवेणीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय, उपरखा का भवन का निर्माण वर्ष 2015 में ही हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नवनिर्मित भवन में वर्ग कक्ष का संचालन नहीं होने से भवन जर्जर स्थिति में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय का जर्जर भवनों की मरम्मत कार्य करवाकर नवनिर्मित भवन में वर्ग संचालन करवाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उर्दू शिक्षकों की बहाली करना

*146. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में उर्दू भाषा को दूसरी सरकारी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने 211 महाविद्यालयों में जिन 06 विषयों के अध्यापकों के बहाली हेतु अधिसूचना जारी किया है उसमें उर्दू विषय के अध्यापकों की बहाली का उल्लेख नहीं है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उर्दू विषय के अध्यापकों की बहाली नहीं करने से उर्दू भाषी छात्र-छात्राओं को नये महाविद्यालयों में उर्दू विषय के अध्ययन से वंचित रखा गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो 211 महाविद्यालयों में उर्दू अध्यापकों की बहाली नहीं करने का क्या औचित्य है ?

शिक्षकों का पदस्थापन

*147. श्री कुमार प्रणय (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत सदर प्रखंड स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालय के सभी शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् आज तक एक भी शिक्षक का पदस्थापन विभाग द्वारा नहीं किया गया है, जिससे इस विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन पूर्णतः ठप्प है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थापन कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पद सृजन करना

*148. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा 'सात निश्चय 3' (2025/30) के तहत 208 प्रखंडों में नए डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत 17 विषयों की सूची में सविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 'मैथिली' भाषा और साहित्य को जगह नहीं दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मैथिली भाषा से जुड़े छात्र-छात्राओं और शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस सूची में मैथिली विषय को शामिल करने तथा इसके लिए प्राध्यापकों के पद सृजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*149. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा क्षेत्र में प्रखंड बिक्रमगंज के पंचायत घुसियां खुर्द के डफलडीह में महादलित एवं अल्पसंख्यकों की घनी आबादी है। जिनके छोटे-छोटे बच्चे कंडाडीह, बिक्रमगंज नगर परिषद् वार्ड 23 के उर्दू मध्य विद्यालय एवं घुसिया खुर्द के विद्यालयों में क्रमशः 02 कि०मी० की दूरी तय करके शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिक्रमगंज नगर परिषद् अंतर्गत वार्ड 23 में अवस्थित उर्दू मध्य विद्यालय में छात्र-छात्राओं की बहुलता के कारण नामांकन भी संभव नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डफलडीह में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

हाई स्कूल का निर्माण

*150. श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के शेरघाटी प्रखंड अन्तर्गत गोपालपुर पंचायत के गोपालपुर में बने हाई स्कूल के नगर परिषद्, शेरघाटी में शामिल हो जाने के कारण उसके स्थान पर बने चिलिम पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण वहां के बच्चों को उच्च शिक्षा के पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार चिलिम पंचायत में उच्च विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*151. श्री मनोज विश्वास (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला स्तरीय शिक्षक स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद अररिया जिला के मध्य विद्यालय गोपालपुर (2) मध्य विद्यालय, भागकोहलिया (3) मध्य विद्यालय, अमवना मध्य विद्यालय, बथना सहित सभी विद्यालयों में स्वीकृत पदों की तुलना में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण पठन-पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर कबतक प्रतिनियुक्त कर पठन-पाठन सुचारू रूप से चलाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

KYP कार्यक्रम को प्रारंभ करना

*152. डॉ० प्रकाश चंद्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) के तहत पिछले चार माह से KYP केंद्रों के नवीनीकरण एवं नए नामांकन पर रोक लगाए जाने के कारण राज्य के 1,700 से अधिक KYP केंद्रों का प्रशिक्षण कार्य लगभग ठप हो गया है, जिससे लगभग 15,000 से अधिक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है तथा एक लाख से अधिक मैट्रिक एवं इंटर उत्तीर्ण छात्र-छात्राएँ कौशल प्रशिक्षण से वंचित हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार KYP कार्यक्रम को तत्काल पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ करने, लंबित नवीनीकरण एवं नामांकन पर लगी रोक हटाने, स्थानीय अनुभवी KYP केंद्र संचालकों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा नई नीति लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल की समुचित व्यवस्था

*153. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत हुलासगंज प्रखंड के केंटर उच्च विद्यालय में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है, यद्यपि वहाँ वर्तमान में समर्सिबल पंप उपलब्ध है, किन्तु विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पेयजल के लिए गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हथिया चापाकल (हैंडपंप) नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय की चहारदीवारी अत्यंत जर्जर अवस्था में है, जिससे विद्यालय की सुरक्षा एवं विद्यार्थियों की संरक्षा प्रभावित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में हथिया चापाकल की स्थापना कराने एवं चहारदीवारी के पुनर्निर्माण/मरम्मत कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*154. श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कदवा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित कुशल पंचायत के रामनगर प्राथमिक विद्यालय, कालदेही एवं तेतलिया पंचायत के निगेल प्राथमिक-सह-माध्यमिक विद्यालय सहित अनेक विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ विद्यालय भवन उपलब्ध नहीं है अथवा उपलब्ध भवन छात्रों की संख्या के अनुरूप अपर्याप्त अथवा जर्जर है तथा कुछ विद्यालयों में भवन निर्माण हेतु भूमि भी उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार जर्जर एवं अपर्याप्त भवनों के पुनर्निर्माण/विस्तारीकरण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना

*155. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला स्थित रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, जिससे उक्त विधान सभा के छात्र-छात्रा तकनीकी शिक्षा से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*156. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड अन्तर्गत बगादी रामनगर पंचायत के बाड़ाडीह ग्राम के वार्ड 05 में रामजानकी मंदिर के समीप बिहार सरकार की जमीन है, जिसका खाता सं० 2343, खेसरा 5482, रकबा 82 डिसमिल है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त जमीन पर पार्क बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*157. मो० कमरुल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विशेष मानवीय आधारों यथा पारस्परिक स्थानांतरण, असाध्य रोग, दिव्यांगता, पति-पत्नी सरकारी कर्मचारी अथवा समानांतरण के आधार पर वर्ष 2025 से 2026 के दौरान किशनगंज जिला से 1700 से अधिक शिक्षकों को दूसरे जिले में तबादला किया गया है, किंतु इस आलोक में किशनगंज जिला में केवल 200 शिक्षक ही आए हैं, जिसके कारण किशनगंज जिला में 1500 शिक्षकों की घोर कमी हो गई और बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किशनगंज जिला में उक्त 1500 शिक्षकों के तत्काल पदस्थापन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संवेदक पर कार्रवाई करना

*158. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के परैया प्रखंड अंतर्गत महादेवपुर गुलरियाचक एवं बदलचक लोदीपुर बालू घाट सहित अपरमोरहर और लोअर मोरहर नदी से संवेदक द्वारा बालू निकासी पोपलेन मशीन से मानक के अनुसार नहीं करने से नदी की गहराई अधिक होने के कारण बरसात के दिनों में अप्रिय घटना बहुत हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मानक के अनुसार बालू का उठाव नहीं होने के कारण हो रही घटना की रोकथाम के लिए संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना:

दिनांक 21 जुलाई, 2026 (ई०)।

पूनम सिन्हा,

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026